

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर जिला भीलवाडा

श्रीमति सन्तरा देवी पत्नि महावीर प्रसाद सनाढ्य निवासी रोपां  
बनाम

भैरु पिता जगनाथ गुर्जर निवासी रोपां वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल.आर.ए.

मुकदमा नं. 715/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की ताम में जारी हुये
24.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रोपां प्रथम प.ह. रोपां प्रथम तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी सं. 3331/2 रकबा 1.6187 है. स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम रोपां प्रथम प.ह. रोपां प्रथम तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी सं. 3331/2 रकबा 1.6187 है. भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 24.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

Do  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)


निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 715 / 2023 अनवान श्रीमति सन्तरा देवी पत्नि महावीर

प्रसाद सनाढ्य निवासी रोपां बनाम भैरु पिता जगनाथ गुर्जर ,  
कालू पिता जगनाथ गुर्जर , माधु पिता हाथीराम जाट , छगना  
पिता धन्ना जाट , .घीसू पिता हरदेव जाट , बन्नालाल पिता  
हरदेव जाट , श्रीमति चान्द देवी पत्नि शान्तिलाल जैन , भूरी  
पत्नि गोपाल जाट , अयूब पिता नशीर खॉ मुसलमान निवासी  
रोपां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की पत्थरगढी की पालना  
करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रोपां प्रथम प.ह.  
रोपां प्रथम तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी सं. 3331 / 2 रकबा 1.6187 है. भूमि  
की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोपां  
को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं  
जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे।  
पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।  
पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)